

**कार्यालय— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।**  
**आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 342 /3क(2)/नियुक्ति/60 प्रति./2017-18/दिनांक 21-06-17**

**विज्ञप्ति/नियुक्ति**

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या- 5600 /उप्राशिप / एल०टी०भर्ती / 2014 दिनांक 23-02-2014 (यथासंशोधित) के क्रम में प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/348/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.सं./2017-18/दिनांक 01.05.2017 द्वारा 60 प्रतिशत सीधी भर्ती परीक्षा के अन्तर्गत प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान 44900-142400 वेतन मैट्रिक्स में स्तर 07) में सहायक अध्यापक एल.टी. (गृह विज्ञान) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी।

**विषय: गृह विज्ञान (शाखा:-महिला)**

| क्र० सं. | अभ्यर्थी का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता   | जन्म तिथि  | गृह जनपद  | जाति    | उपश्रेणी | लिखित परीक्षा गुणांक | पदस्थापित विद्यालय                               |
|----------|---|------------|-----------|---------|----------|----------------------|--|
| 1        | 2   | 3          | 4         | 5       | 6        | 7                    | 8  |
| 1        | श्रीमती हरमनजीत कौर पत्नी श्री प्रकाश सिंह, म००८०-८०४, आजाद नगर रुड़की, जनपद- हरिद्वार, पिन कोड- 247667     | 18.02.1988 | हरिद्वार  | सामान्य | महिला    | 113.25               | रा.क.उ.मा.वि.<br>मुण्डाखेड़ा (लक्सर)<br>हरिद्वार |
| 2        | श्रीमती लता भट्ट पत्नी श्री प्रवीन घन्द भट्ट, जगदम्बा कालोनी निकट- रेडियम, जिला- पिथौरागढ़, पिन कोड- 262501 | 04.10.1986 | पिथौरागढ़ | सामान्य | महिला    | 112.50               | रा.क.इ.का. पोखरी<br>(थलीसैंण)<br>पौड़ी गढ़वाल    |

(महावीर सिंह बिष्ट)

प्रभारी, मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पू०स०/सेवा.अराज./ 5511-25 /3क(2)/नियुक्ति/60 प्रति./2017-18/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
- अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा०)।
- सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का विवरण फोटो सहित ई-पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में गृह विज्ञान विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेब साईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो/प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त न हो/ अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक हो (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.वग/विकलांग/भूसै. अभ्यर्थियों के अतिरिक्त) तो अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। दिव्यांग अभ्यर्थी को छोड़कर अन्य अभ्यर्थी केवल वाई क्षेत्र के विद्यालय में नियुक्त हो यह तथ्य जॉच लेवे। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने लौ सूचना उसी दिन पंजीकृत डॉक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....  
 .....एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभूति जाँच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु0.....पद.....विषय.....को दिनांक .....के पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

ह0संस्थाध्यक्ष

नाम—

पदनाम एवं सील

13. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सेट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो,मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र,स्थायी निवास प्रमाण—पत्र,जाति प्रमाण—पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण—पत्र,दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण—पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण—पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण—पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि “मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है”, का प्रमाण—पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा।

नोट— किसी भी अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण—पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण—करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

14. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

प्रभारी मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध—पत्र

मैं अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....  
 .....सहायक अध्यापक, विद्यालय का नाम.....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा / करुंगी एवं अपने सभे सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा / करुंगी।

ह0

नाम—

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0एवं सील संस्थाध्यक्ष